विचार बिन्दु

महान ध्येय का मौन में ही सृजन होता है। –साने गुरूजी

क्या सत्ताधीशों का काम केवल विरोध को कुचलने का रह गया है?

दिनांक 13 अगस्त, 2026 को बार कौंसिल ऑफ इंडिया (बी सी आई) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने आदेश जारी किया कि हैदराबाद के विधि विश्वविद्यालय, NALSAR के 2026 बैच के छात्रों का पंजीयन किसी राज्य की बार कौंसिल में नहीं किया जाएगा। बिना बार कौंसिल में रेजिस्ट्रेशन के कोई विधि स्नातक किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। उल्लेखनीय है कि NALSAR के छात्रों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में बुलाने का विरोध किया था और कहा था कि वे उनके हाथों से डिग्री नहीं लेंगे। इसका कारण यह बताया गया कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत देश के छात्रों की अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करने में असमर्थ रहे हैं। जब दिल्ली में पुलिस अत्याचार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि उनके पास ये वीडियो देखने के लिए समय नहीं है। यह बयान युवाओं के प्रति उनकी असंवेदनशीलता दर्शाता था। उनके फैसले, युवाओं के हित के विपरीत रहे हैं। पाठकों के लिए यह जानना उचित होगा कि पारंपरिक रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश को NALSAR के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि की तरह बुलाया जाता रहा है।

बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर बिहार से विधायक का चुनाव लड़ा। बाद में 2013 में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भाजपा के प्रति स्वामी भक्ति दिखाने के कारण इनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। ये 2014 से लगातार बार काउंसिल के अध्यक्ष बने हुए हैं। मिश्रा के इस मनमाने और बेतुके आदेश की सब वकीलों, नेताओं, यहां तक कि भाजपा के नेताओं ने भी कड़ी निंदा की। कॉकरोच जनता पार्टी, (सी जे पी) के नेताओं ने तो यहां तक घोषणा कर दी कि वे मनन मिश्रा के सरकारी आवास और उनके कार्यालय का घेराव करेंगे। तीव्र विरोध को देखते हुए मनन मिश्रा को दो घंटों में ही अपना वह आदेश वापस लेना पड़ा। उन्होंने बड़े भोलेपन से मीडिया के माध्यम से यह बयान दिया कि वे युवाओं के भविष्य को किसी प्रकार से खराब नहीं करना चाहते हैं ।

मनन मिश्रा का यह आदेश तो केवल एक उदाहरण है, वास्तविकता तो यह है कि सत्ता की कुर्सी पर बैठा हर व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुंठित करने का कार्य कर रहा है। विरोध के प्रति इतनी असहिष्णुता पहले नहीं देखी गई। नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी, संविधान द्वारा दी गई है । जहां, जिसको अवसर मिलता है वह विरोध को सहन नहीं कर पाता और उसके स्वर को कुचलने का प्रयास करने लगता है।

देश के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों में 15-20 साल से छात्र संगठन के चुनाव नहीं हुए हैं। अपनी राजनीतिक विचारधारा को अभिव्यक्त करने का कोई मंच ही छात्रों को उपलब्ध नहीं है । केंद्र एवं राज्यों में सरकारों ने अपने चहेते कुलपति और अध्यक्ष सभी शिक्षण संस्थाओं में बिठा दिए, ताकि छात्रों को उनकी ही विचारधारा को मानने हेतु बाध्य किया जा सके। सरकार विरोधी विचारधारा रखने वाले लोगों को टारगेट करके प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है ।

हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कई विश्वविद्यालयों और संस्थाओं ने इस आंदोलन में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया और छात्रों को सलाह दी कि इसमें भाग न लें। यह धमकी तक दी गई कि यदि उन्होंने इसमें भाग लिया तो उन्हें विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। एक विश्वविद्यालय ने तो यहां तक लिख दिया कि यदि उनके विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन में भाग लेंगे तो, विश्वविद्यालय और केंद्र सरकार के संबंध पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे आदेश निकालने वालों में दिल्ली विश्वविद्यालय, जे एन यू, जामिया मिलिया, आई आई टी रुड़की और मद्रास जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं। विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थानों का कार्य स्वतंत्र सोच को विकसित करने का है अथवा उसे दबाने का? यदि विश्विद्यालय, सरकार विरोधी विचारधारा के स्वर को दबाने का काम करेंगे तो उन्हें विश्वविद्यालय कहना बेमानी होगा। विश्वविद्यालय छात्र संघों से निकले कई छात्र नेता, बाद में राष्ट्रीय राजनीति में आए और विधायक, सांसद और मंत्री तक बने, जैसे अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रवि शंकर प्रसाद आदि आदि।

यह देश का दुर्भाग्य ही है कि जिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी संविधान में दी गई है, उसे ही किसी न किसी तरह से, हर स्तर पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यह काम सरकारी विभागों के अधिकारी तो करते ही थे, अब तो उच्च शिक्षण संस्थान तक यही करने लगे हैं। कई बार तो लगता है कि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के मुखिया के रूप में नियुक्त होने के लिए केवल एक ही अनिवार्य शर्त है, और वह यह कि, आप सत्ताधारी दल के सेवक के रूप में कार्य करने को तत्पर हों।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का काम केवल वर्तमान भाजपा सरकार ही नहीं कर रही है । पूर्व में भी, हर सत्ताधारी दल ने अपने विरोधियों की आवाज़ को दबाने और कुचलने का ही काम किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपातकाल के रूप में 1975 में सामने आया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया था।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का काम केवल वर्तमान भाजपा सरकार ही नहीं कर रही है । पूर्व में भी, हर सत्ताधारी दल ने अपने विरोधियों की आवाज़ को दबाने और कुचलने का ही काम किया है। इसका सबसे बडा उदाहरण तो आपातकाल के रूप में 1975 में सामने आया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया था। सभी प्रकार के संचार माध्यमों पर सरकार विरोधी कोई बयान देने और संगठन बनाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया । आपात काल के बाद मार्च, 1977 में जब चुनाव हुए, तब जनता ने दिखा दिया कि वह अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहती है और जो भी उसे दबाने का प्रयास करेगा, उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जनता ने इंदिरा गांधी जैसी शक्तिशाली प्रधानमंत्री की सरकार को 1977 के चुनावों में बुरी तरह पराजित करके सत्ता से उखाड़ फेंका।

गत कुछ वर्षों से जिस प्रकार की असहिष्णुता, विचारों की भिन्नता के लिए और सत्ताधारी दल के मत से अलग मत रखने वालों के प्रति दिखाई जा रही है, उससे तो यही लगता है कि राजनैतिक दलों ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा और फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। इस भय के वातावरण के कारण सरकार के विरुद्ध मुंह खोलना, जोखिम भरा काम हो गया है। जिन विद्यार्थियों ने कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर के प्रदर्शन में भाग लिया, पुलिस द्वारा उनकी पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई कार्यवाही की जा रही है।

आजकल तो विश्वविद्यालय में कुलपति, प्रोफेसर एवं शिक्षकों के पदों पर चयन हेतु, सत्ताधारी दल की विचारधारा वाला व्यक्ति होना, अनिवार्य शर्त बन गई है। यहां तक कि निजी विश्वविद्यालय में भी यदि सरकार के निर्णय के विरुद्ध कोई आवाज उठा दें, तो वहां के मुखिया को उनके मालिकों के माध्यम से हटाने की कार्यवाही की जाती है।

मीडिया अपनी सही भूमिका तभी निभा सकता है जब वह अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखे और निष्पक्ष रहे । कुछ वर्षों से यह देखा गया है कि मीडिया अंग्रेज़ी की कहावत "more loyal than the king" को सही सिद्ध करने में लगा है। यह मीडिया निष्पक्षता की सभी सीमाओं को लांघते हुए सत्ताधारी दल को खुश करने में लगा है। इस प्रकार के मीडिया को 'गोदी मीडिया' की संज्ञा दी गई है यानि सरकार की गोद में बैठा मीडिया। इनका उद्देश्य स्पष्ट है, सरकार के अधिकाधिक विज्ञापन उन्हें मिलते रहें और सरकार का पूर्ण संरक्षण उन्हें प्राप्त हो।

आज, यदि धरातल के वास्तविक समाचार लोगों तक पहुंच रहे हैं तो, वह केवल सोशल मीडिया की बदौलत है । कुछ साहसी पत्रकार, फील्ड में जाकर वास्तविकता उजागर करने का प्रयास करते हैं किंतु उनके लिए भी जोखिम बहुत बढ़ी है । सरकार के किसी निर्णय और कार्रवाई का विरोध, उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है, इसके अनेक उदाहरण गत कुछ वर्षों में देखने में आए हैं । कई चैनल बंद कर दिए गए या उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कुछ के विरुद्ध ई डी, सी बी आई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों को छोड़ दिया गया है।

सरकार विरोधी रिपोर्टिंग करने वाले कुछ पत्रकारों को गिरफ्तार तक कर लिया गया । यूपी में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में पानी और नमक के साथ रोटी खाते हुए बच्चों को दिखा दिया तो सरकार ने उस पत्रकार को गिरफ्तार करवा दिया। जिस पत्रकार ने हाथरस बलात्कार और हत्या कांड के सच को मीडिया में प्रसारित करने की कोशिश की तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया । उसकी जमानत भी सुप्रीम कोर्ट के दखल से हुई।

कोई शायर या कॉमेडियन ऐसी कोई बात सार्वजनिक मंच से कह दे जो सरकार को अपने विरोध में दिखाई दे तो उस पर कार्रवाई करने में कोई देरी नहीं होती। सरकार के इस काम में, दुर्भाग्य से, प्रशासन भी पूरी तरह सहयोग करने के लिए, हर गैर कानूनी आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहता है । उदाहरणार्थ, लद्दाख के जिला प्रशासन ने बिना पर्याप्त कारण के, सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तार करके सात महीने के लिए जेल में डाल दिया था। बाद में, स्वयं गृह मंत्रालय को एन एस ए के अंतर्गत जारी आदेश को वापस लेना पड़ा । इससे, सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी ।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने में जहां सत्ता पक्ष के नेताओं की प्रमुख भूमिका है, वहीं, संविधान की शपथ लेने वाले नौकरशाहों और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों की भी उतनी ही भूमिका है । यदि वे अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें तो सरकार, चाहते हुए भी असंवैधानिक तरीके नहीं अपना सकती है। बस, इसके लिए उनको स्वयं को दो ही बातों से मुक्त करना होगा – भय और लोभ। अधिकारी गण, सरकार के उचित –अनुचित सभी आदेशों का पालन केवल इसलिए करते हैं कि उन्हें मनमानी पोस्टिंग मिल जाए या वह नेताओं के साथ मिलकर अनैतिक रूप से धन कमा सकें, या फिर वे इतने कायर है कि उनके विरुद्ध प्रताड़ना की कार्यवाही से भय खाते हैं। यदि अधिकारी अपने विवेक से कानून सम्मत काम करते तो जंतर मंतर के प्रदर्शनकारी छात्रों पर पेलेट गन का इस्तेमाल नहीं होता और बिहार में कोई सिपाही एके-47, प्रदर्शनकारियों पर नहीं तान देता।

ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति कुर्सी पर बैठे, उसका पहला काम ही विरोध के स्वर को दबाने का हो जाता है। यह प्रवृत्ति अब शायद जनता के दबाव से कम होगी और अधिकारीगण, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे। राजनेताओं को सबक सिखाने का काम तो जनता, केवल चुनाव के माध्यम से पांच साल में एक बार कर सकती है। राजनीतिज्ञों को यह बात समझती होगी कि जनता के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करके वे न केवल लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे अपितु स्वयं की छवि और भविष्य को भी बेहतर बना पाएंगे। अन्यथा, मौका लगने पर जनता उन्हें कैसे पटखनी दे देती है, इसका इतिहास गवाह है ।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

संवैधानिक धर्म: समानता और बंधुत्व का मार्ग

मदन सिंह काला

संविधान की प्रस्तावना हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। 26 जनवरी 1950 को जब यह लागू हुआ, तो हर भारतीय नागरिक से चार वादे किए – न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 75 वर्ष बाद आज हमें यह परखना है कि इन वादों को जमीन पर उतारने में हम कहां तक सफल हुए। यदि प्रस्तावना एक संकल्प है, तो आरक्षण उस संकल्प को पूरा करने का सबसे बड़ा संवैधानिक उपकरण है।

इतिहास हमें बताता है कि भारत की हार का सबसे बड़ा कारण बाहरी आक्रांता नहीं, बल्कि अंदर की फूट थी। इस फूट की जड़ जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में थी। समाज को चार हिस्सों में बांट दिया गया। ब्राह्मण को समस्त समाज को शिक्षा देने का दायित्व मिला, पर उसने उसे सीमित रखा। क्षित्रय को रक्षा की जिम्मेदारी मिली, पर वह अकेला बार-बार हारता गया क्योंकि उसके पीछे पूरा समाज नहीं खड़ा था। वैश्य का काम शुद्ध व्यापार था, पर उसने उसे ईमानदारी से नहीं निभाया गया। शूद्रों को खेती, पशुपालन, भवन निर्माण, कपड़ा बुनाई, लोहे-सोने का काम, जूते बनाने जैसे सभी तकनीकि व उत्पादकता जैसे कार्यों में लगा दिया गया, लेकिन उन्हें शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया। अतिशूद्रों को तो ''पूर्व जन्म के कर्मों'' का हवाला देकर अछूत घोषित कर समाज से बिल्कुल अलग कर दिया गया।

इस तरह समाज की 80-85 प्रतिशत शक्ति को शिक्षा, सम्मान और अवसरों से दूर रख दिया गया। नतीजा यह हुआ कि देश न आर्थिक रूप से मजबूत बन पाया, न सैन्य रूप से और न बौद्धिक रूप से। यही कारण है कि हम बार-बार गुलाम हुए।

इसी ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए संविधान निर्माताओं ने 'सकारात्मक कार्रवाई' का मार्ग चुना। यह कोई राजनीतिक चाल या दया नहीं थी, बल्कि एक संवैधानिक उपचार था। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि संविधान में आरक्षण का आधार कभी आर्थिक कमजोरी नहीं रहा। संविधान सभा में बहस के दौरान डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने स्पष्ट कहा था – "I don't prefer the competent government, I prefer the representative government." इसका अर्थ है आरक्षण का उद्देश्य 'योग्य सरकार' नहीं, बल्कि 'प्रतिनिधि सरकार' बनाना है। इसलिए अनुच्छेद 16(4) में आधार 'सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन' रखा गया है। दुनिया के अन्य देशों में भार Affirmative Action है, लेकिन उसका आधार भी आर्थिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक भेदभाव और कम प्रतिनिधित्व है।

–आरक्षण प्रतिभा के विरुद्ध व्यवस्था नहीं है; यह उस असमान प्रारंभिक स्थिति को संतुलित करने का संवैधानिक प्रयास है जिसमें सभी प्रतियोगियों को समान अवसर कागज पर तो मिलता है, लेकिन सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक परिस्थितियाँ समान नहीं होतीं।– जिस बच्चे के घर में किताब नहीं, कोचिंग नहीं, अच्छे स्कूल नहीं, उसे उसी लाइन से दौड़ाना जहाँ दूसरे के पास पीढ़ियों से संसाधन हैं, यह समानता नहीं होगी। आरक्षण उसी दौड़ को बराबर करने के लिए 'हैंडीकैप' की तरह है। एक बार बराबरी आ जाए, फिर मैदान सबके लिए खुला है।

75 वर्षों का परिणाम सामने है। एससी/एसटी की साक्षरता 1951 के 10 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 70 प्रतिशत से अधिक हो गई। आज इन वर्गों से आईएएस, आईपीएस, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, उद्यमी और जनप्रतिनिधि निकल रहे हैं। राज्यों में आरक्षण की स्थिति अलग-अलग है। सिक्किम में कुल 85 प्रतिशत आरक्षण है, तमिलनाडु में 69 प्रतिशत, राजस्थान में 64 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 60 प्रतिशत और कर्नाटक में 50 प्रतिशत की सीमा लागू है, जिसे राज्य सरकार ने 66 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। केंद्र में एससी 15 प्रतिशत, एसटी 7.5 प्रतिशत, ओबीसी 27 प्रतिशत और इडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत आरक्षण लागू है।

आरक्षण के बाद भारत की तस्वीर बदली। आजादी के बाद हम कभी किसी विदेशी ताकत के गुलाम नहीं बने। हमारी तीनों सेनाएं – थल, नौसेना, वायुसेना – दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में हैं। –ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं की कॉम्बैट/लड़ाकू भर्ती में कोई जातिगत आरक्षण नहीं है।– वहां चयन पूरी तरह मेरिट, शारीरिक दक्षता और राष्ट्र भक्ति के आधार पर होता है, और यही हमारी ताकत है। इसी तरह ओलंपिक और एशियाड में भी कोई आरक्षण नहीं है, फिर भी एससी/एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के खिलाड़ी मिलकर मेडल लाते हैं। यह सिद्ध करता है कि अवसर मिलने पर हर वर्ग प्रतिभा दिखा सकता है।

पिछले वर्षों में 'समरसता' शब्द चर्चा में है। समर्थक इसे प्रेम और भाईचारे का प्रतीक मानते हैं। लेकिन यहां गंभीर आपत्ति है। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने स्वयं कहा था – "I don't want Samrasta, I want Samata" मुझे समरसता नहीं, समानता चाहिए। यदि 'समरसता' का अर्थ जन्म आधारित कर्म को स्वीकार करना है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। संविधान का लक्ष्य 'समरसता' नहीं, बल्कि 'समानता और बंधुत्व' है। वास्तविक समरसता तभी होगी जब हर वर्ग का व्यक्ति मंदिर से लेकर प्रयोगशाला तक, खेत से लेकर संसद तक, अपनी योग्यता से आगे बढ़ सके।

सरकारी क्षेत्र में आरक्षण के बाद भी समाज के कुछ क्षेत्रों में असमानता दिखती है। हिंदू धर्म जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, के कई धार्मिक स्थलों, ट्रस्टों और पूजा से जुड़ी भूमिकाओं में आज भी पीढ़ीगत आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों का वर्चस्व है। शूद्र और अतिशूद्र वर्ण की जातियों को व्यवस्थित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इसी तरह देश के चार पीठों के शंकराचार्यों और विभिन्न अखाड़ों के महामंडलेश्वरों जैसे शीर्ष पदों परंपरागत रूप से जन्म के आधार पर ही चयन होता आया है। जब तक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में सभी वर्गों को समान सम्मान और भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक 'बंधुत्व' अधूरा रहेगा।

इस संदर्भ में इडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रश्न भी उठता है। 10 प्रतिशत इडब्ल्यूएस आरक्षण को संविधान की मूल भावना के विरुद्ध माना जा सकता है। सबसे बड़ी विसंगति यह है कि यह एससी/एसटी, और ओबीसी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर लागू ही नहीं होता। यदि आधार आर्थिक है, तो फिर इन वर्गों के गरीबों को इससे बाहर क्यों रखा गया? इससे स्पष्ट है कि इसका आधार सामाजिक न्याय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिना गहन बहस के स्वीकार कर लिया, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से यह प्रावधान संदिग्ध है।

अब समय आ गया है कि हम आरक्षण को अंतिम लक्ष्य न मानें। – आरक्षण अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि समान अवसर तक पहुंचने का साधन है। अंतिम लक्ष्य ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें जन्म व्यक्ति की शिक्षा, सम्मान, रोजगार, नेतृत्व और जीवन की संभावनाओं को निर्धारित न करे। इसके लिए हमें एक संयुक्त मॉडल अपनाना होगा – आरक्षण + गुणवत्तापूर्ण शिक्षा + आर्थिक सशक्तिकरण + सामाजिक प्रतिनिधित्व + संवैधानिक बंधुत्व।

इसके लिए सबसे पहले हर 10 वर्ष में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए ताकि नीति सही आंकड़ों पर बने और ओबीसी के लिए 'क्रीमी लेयर' को सख्ती से लागू किया जाए। दूसरा बड़ा कदम शिक्षा में होना चाहिए। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, मुफ्त कोचिंग और छात्रवृत्ति से लक्ष्य यह हो कि अगली पीढ़ी को आरक्षण पर निर्भर न रहना पड़े। तीसरा कदम आर्थिक सशक्तिकरण का है। मुद्रा, स्टार्टअप और कौशल विकास योजनाओं को एससी/एसटी, ओबीसी युवाओं तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जाए। चौथा कदम संस्थाओं में समावेश का है। सरकारी मंदिरों और ट्रस्टों की प्रबंधन समितियों में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले और धार्मिक शिक्षा सभी के लिए खोली जाए। पांचवां कदम संवाद का है। गांव-स्तर पर संविधान और बंधुत्व पर चर्चा हो और भेदभाव के खिलाफ कानूनों का कड़ाई से पालन हो।

अब 75 वर्षों बाद हमें एक नई सोच अपनानी होगी। परम्परागत धर्मों की जगह हमें एक –'संवैधानिक धर्म'– की अवधारणा विकसित करनी चाहिए। इस धर्म में शनैः शनैः जन्म, कर्म और जाति की जगह संवैधानिक मूल्य ले लें – न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इस 'संवैधानिक धर्म' के 4 स्तंभ होंगे: समानता का पूजा-स्थल स्कूल, अस्पताल, अदालत, बंधुत्व का प्रसाद अवसर और प्रतिनिधित्व, न्याय का आचरण भेदभाव न करना, और स्वतंत्रता का मंत्र अपनी प्रतिभा से जीवन चुनने की आजादी।

आरक्षण कमजोरी नहीं है। यह उस टूटी हुई कड़ी को जोड़ने का संवैधानिक रास्ता है जिसके कारण हम सदियों तक कमजोर रहे। जब समाज का हर वर्ग – सरकारी दफ्तर, स्कूल, सेना, उद्योग और धार्मिक संस्था – सब जगह शिक्षित और सशक्त होकर भाग लेगा, तभी भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बन सकेगा। अनेकता में एकता ही हमारी वास्तविक जीत है। संविधान केवल एक कागजी दस्तावेज नहीं है, बल्कि –145 करोड़ से अधिक– भारतीयों के बीच का सामाजिक समझौता है। आइए हम सब मिलकर न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के इस वादे को पूरा करने के लिए काम करें।

–मदन सिंह काला, पूर्व
आई.ए.एस अधिकारी

रंगमंच महंगा होगा तो अभिव्यक्ति सस्ती कैसे रहेगी?

राजेन्द्र जोशी

कला, साहित्य और संस्कृति किसी भी समाज की आत्मा होती है। इनका संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन केवल संरक्षण की घोषणा कर देने से संस्कृति जीवित नहीं रहती। इसके लिए कलाकारों, साहित्यकारों और रंगकर्मियों को साधन, सुविधाएँ और सबसे महत्वपूर्ण–अभिव्यक्ति के लिए सहज और सुलभ मंच उपलब्ध करवाना भी सरकार का दायित्व है।

लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार तभी सार्थक है, जब आम आदमी अपनी बात कह सके। कलाकार अपने नाटक के माध्यम से समाज की विसंगतियों और कुरीतियों पर सवाल उठाता है, साहित्यकार गोष्ठियों के माध्यम से विचारों को समाज तक पहुँचाता है और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ हमारी लोक परंपराओं और सामाजिक चेतना को आगे बढ़ाती हैं। इसलिए सरकारी सभागारों और रंगमंचों का किराया इतना नहीं होना चाहिए कि आम कलाकार वहाँ कार्यक्रम करने के बारे में सोच भी न सके।

बीकानेर का सांस्कृतिक इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। साहित्य, रंगमंच, लोककला और सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में बीकानेर की अपनी विशिष्ट पहचान है। बीकानेर को साहित्य की राजधानी तक कहा गया है। यहाँ अनेक साहित्यकारों, रंगकर्मियों और कलाकारों ने अपनी रचनात्मक यात्रा शुरू की और देश-दुनिया में अपनी पहचान बनाई।

ऐसे शहर में टाउन हॉल केवल एक भवन नहीं है। यह बीकानेर की सांस्कृतिक स्मृति और सार्वजनिक अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। लंबे समय से साहित्यिक गोष्ठियाँ, नाट्यचय प्रस्तुतियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक आयोजन और विचार-विमर्श यहाँ होते रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टाउन हॉल वास्तव में आम रंगकर्मी, साहित्यकार और सामाजिक संस्थाओं की पहुँच में रह गया है? टाउन हॉल का किराया जिस तरह बढ़ाया गया है, उसने छोटे बजट में काम करने वाले रंगकर्मियों और संस्थाओं के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। किसी रंगकर्मी के लिए नाटक तैयार करना ही आसान काम नहीं है। कलाकारों की मेहनत, मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि, प्रचार-प्रसार और अन्य खर्चों के बाद यदि सभागार का किराया ही इतना अधिक हो जाए कि आयोजन की पूरी आर्थिक गणित बिगड़ जाए तो कलाकार अपनी प्रस्तुति कहाँ करेगा? यह सवाल केवल रंगकर्मियों का नहीं है। यह बीकानेर के सांस्कृतिक भविष्य का सवाल है।

सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि बीकानेर के रंगकर्मी और कला-संस्कृति से जुड़े लोग टाउन हॉल के किराये को लेकर कई बार राजनेताओं और जिला प्रशासन से आग्रह कर चुके हैं। अपनी समस्या से अवगत करवाया है और किराये को तर्कसंगत एवं सामान्य करने की मांग रखी है। लेकिन लगातार आग्रह के बावजूद यदि प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं होती तो यह चिंता का विषय है। ऐसा लगता है जैसे कलाकारों की आवाज प्रशासन के कानों तक पहुँच ही नहीं रही। रंगकर्मियों का यह कहना गलत नहीं है कि जब वे बार-बार अपनी बात रख चुके हैं, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से आग्रह कर चुके हैं, फिर भी कोई निर्णय नहीं होता तो आखिर वे अपनी बात किसके सामने रखें? सरकारी भवन जनता के पैसे से बनते हैं। टाउन हॉल भी जनता की सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए है। उसका उद्देश्य केवल किराये से अधिकतम राजस्व अर्जित करना नहीं हो सकता। व्यावसायिक आयोजन और सांस्कृतिक आयोजन एक कैसे हो सकते हैं? जिला प्रशासन को एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा व्यावसायिक कार्यक्रम और गैर-व्यावसायिक सांस्कृतिक आयोजन एक समान नहीं होते।

यदि कोई बड़ा व्यावसायिक कार्यक्रम है, किसी कंपनी का प्रचारात्मक आयोजन है अथवा ऐसा कार्यक्रम है जिससे आयोजक को आर्थिक लाभ होता है, तो उसके लिए अलग किराया निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन स्थानीय रंगकर्मी जब अपनी जेब से या सीमित सहयोग से नाटक तैयार करता है, साहित्यकार साहित्यिक गोष्ठी आयोजित करता है या कोई सामाजिक संस्था जनजागरूकता का कार्यक्रम करती है, तो उनसे उसी दर पर किराया लेना न्यायसंगत नहीं है।

सरकार को चाहिए कि टाउन हॉल के किराये की अलग-अलग श्रेणियाँ निर्धारित करे। व्यावसायिक आयोजनों के लिए सामान्य दर हो, जबकि साहित्य, कला, रंगमंच, लोक संस्कृति, विद्यार्थी गतिविधियों और सामाजिक सरोकारों से जुड़े गैर-व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए अत्यंत रियायती दर रखी जाए। बीकानेर के रंगकर्मियों ने रवींद्र रंगमंच के लिए एक-दो वर्ष नहीं, बल्कि लगभग तीन दशक तक संघर्ष किया। आंदोलन किए, आवाज उठाई और सरकारों के सामने अपनी मांग रखी। लंबे संघर्ष के बाद रवींद्र रंगमंच बना। लेकिन आज स्थिति यह है कि उसका किराया भी सामान्य रंगकर्मी की आर्थिक पहुंच से बाहर होता जा रहा है। ऐसे में जिस मंच के लिए कलाकारों ने वर्षों संघर्ष किया, वही मंच यदि कलाकारों के लिए महंगा हो जाए तो यह व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है।

फिर भी टाउन हॉल की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह लंबे समय से बीकानेर की सांस्कृतिक गतिविधियों का सुलभ केंद्र रहा है। यदि टाउन हॉल भी कलाकारों की आर्थिक पहुंच से बाहर हो गया तो छोटे रंगकर्मियों और साहित्यिक-सांस्कृतिक संस्थाओं के पास आखिर कौन-सा विकल्प बचेगा?

सरकारें बड़े-बड़े सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करती हैं। मंच सजते हैं, कलाकार बुलाए जाते हैं और संस्कृति के संरक्षण की बातें होती हैं। लेकिन संस्कृति का वास्तविक संरक्षण तब होगा, जब स्थानीय कलाकारों को वर्षभर मंच उपलब्ध होगा। बीकानेर के कलाकारों को किसी बड़े महोत्सव में साल में एक बार मंच देने से अधिक जरूरी है कि उन्हें पूरे वर्ष छोटे-छोटे कार्यक्रम करने के लिए सुलभ स्थान मिले। कला और साहित्य के लिए बने सरकारी सभागारों का उद्देश्य राजस्व कमाना नहीं, बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना होना चाहिए। जिला प्रशासन को टाउन हॉल के किराये पर तत्काल पुनर्विचार करना चाहिए। रंगकर्मियों, साहित्यकारों, कलाकारों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी बात सुननी चाहिए और ऐसा किराया तय करना चाहिए जो व्यावहारिक भी हो और कलाकारों की पहुंच में भी। बीकानेर के रंगकर्मी कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहे हैं। वे केवल इतना चाहते हैं कि जिस शहर की सांस्कृतिक पहचान इतनी समृद्ध है, वहाँ संस्कृति के लिए बने मंच संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए सुलभ रहें। अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन उस अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध करवाना व्यवस्था की जिम्मेदारी है। टाउन हॉल आम आदमी की पहुंच से बाहर होगा तो बीकानेर की सांस्कृतिक आवाज कमजोर होगी। इसलिए समय आ गया है कि जिला प्रशासन कलाकारों की आवाज सुने और टाउन हॉल के बढ़े हुए किराये को तत्काल वापस लेकर रंगकर्मियों, साहित्यकारों और सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए तर्कसंगत एवं रियायती किराया निर्धारित करे। बीकानेर का टाउन हॉल केवल ईंट-पत्थर का भवन नहीं है–यह बीकानेर की सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा है। इसे बाजार की दरों पर नहीं, संस्कृति की जरूरतों के आधार पर चलाया जाना चाहिए।

–राजेन्द्र जोशी,
शिक्षाविद- साहित्यकार

राशिफल मंगलवार 18 अगस्त, 2026

पंडित अनिल शर्मा

सावन मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठि तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2083, स्वाती नक्षत्र बुधवार प्रातः 6:47 तक, शुक्ल योग रात्रि 3:23 तक, तैतिल करण सायं 5:51 तक, चन्द्रमा आज तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-तुला, मंगल-मिथुन, बुध-कर्क, गुरू-कर्क, शुक्र-कन्या, शनि-मीन राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज रवियोग सम्पूर्ण दिन-रात है। आज मंगल गौरी पूजा, कल्की जयन्ती, श्रियाल छठ, वर्णषष्ठी है। आज से कल्याण ध